18/5/18 पत्रावली पेश हुई। पी०ओ० साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 10/5/18 को पेश हो।

16/05/2018 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली पर आवश्यक दिशानिर्देश गई। आवश्यक दिशानिर्देश पर प्रार्थी खुद या उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं आये। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा करीब 10 वर्ष से अधिक समय से भी नोटिस अभियोगी प्रस्तुत नहीं किये गये है, जबकि नोटिस हेतु बार-बार समय दिया गया पुनश्च अतः प्रार्थी या प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा न्यायालय के आदेश की पालना नहीं करने से 00 Rs- के जुर्माना किया जाता है। एवं प्रार्थना पत्र फैसला शुदा होकर खर्च मय है कम हो। एवं तामील मूल वाद के साथ संलग्न किया जावे। आदेश आज दिनांक 10/5/2018 को लिखे खुलाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
पीठासीन अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

राजस्व लोक अदालत
न्याय आपके द्वार